

आदेश न हजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई ए एस जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय
प्रकरण संख्या 18/2024 (धारा 14 सिक्योरिटीजेशन)

कोटक महिन्दा बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस नम्बर 27, बी के सी सी-27 जी ब्लॉक, बांदा कुर्ना
काम्यलैवरा बांदा ई मुम्बई।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री गोविन्द जी डेयरी मिल्क प्राईवेट लिमिटेड
पता :- एफ-405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली।
एवं मिल्क प्लान्ट, दुध सरोवर, एन एच 11, (52) ग्राम ढोढसर, जयपुर रोड, तहसील चौमू,
जिला जयपुर
2. नरेन्द्र दीक्षित
पता :- एफ-405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली।
एवं ए-206, दशरथ मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर।
3. मनोरमा दीक्षित
पता :- एफ-405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली।
एवं ए-206, दशरथ मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर।
4. आशुतोष दीक्षित
पता :- 88, सैकिण्ड फ्लोर, के ब्लॉक, कीर्ति नगर, रमेश नगर वेस्ट दिल्ली।
एवं ए-206, दशरथ मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर।
5. जी. के. रिटेल प्राईवेट लिमिटेड
पता :- एफ-405, सुदर्शन पार्क ग्राम बसेई दारापुर, नई दिल्ली।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुर्गतान हेतु
जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र दीक्षित पुत्र प्यारे मोहन दीक्षित के स्वामित्व की
औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पति ग्राम ढोढसर तहसील चौमू के खसरा नम्बर 165 में से 200
वर्गमीटर, खसरा नम्बर 166/2 में से 4000 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 166 में से 10000
वर्गमीटर कुल 14,200 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 29.05.2018, 20.04.2018 एवं 07.
07.2022 तक कुल राशि 12,57,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर (प्रांतीय)




अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मलीमाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को राशि 12,57,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 3,73,51,389.48/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.11.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र दीक्षित पुत्र प्यारे मोहन दीक्षित के स्वामित्व की बन्धक औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पत्ति ग्राम ढोढसर तहसील चौमू के खसरा नम्बर 185 में से 200 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 186/2 में से 4000 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 166 में से 10000 वर्गमीटर कुल 14,200 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
डिप्टी मजिस्ट्रेट
(कानून) बसु (ग्रामीण)